अखिलेश कुमार सिंह

बनाम

झारखण्ड राज्य व अन्य

दिसम्बर 14, 2007

(एस. बी. सिन्हा व हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.)

सेवा कानून – बर्खास्तगी - अभिलेखों के साथ छेडछाड़ के कारण कूटरचना और कदाचार-दण्ड की मात्रा-इस आधार पर चुनौती दी गयी कि सह-कर्मचारी को समान आरोपों के लिये हल्की सजा दी गयी, समान स्थिति वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध समान आरोपों को समान रूप से निपटाया जाना चाहिये। तथ्यों के अनुसार-समान प्रकृति के कर्मचारियों के विरूद्ध लगाये गये आरोप-इस प्रकार, दण्ड की मात्रा में हस्तक्षेप की आवष्यकता नहीं-न्यायिक समीक्षा।

लेखक सिपाही को अभिलेख में छेडछाड करने, कूटरचना करने और खाद्य भत्ते को दुर्विनियोग करने हेतु आरोपित किया गया था। अपीलार्थी को विभागीय कार्यवाही में दोषसिद्ध किया जाकर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की। यह तर्क दिया गया कि विभागीय कार्यवाही में किसी केएस को भी समान आरोप के लिये दोषी पाया गया था और नरमी का रूख अपनाया गया। अपीलीय अधिकारी ने यह

अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी का मामला समान नहीं है। रिट याचिका और अपील दोनों खारिज की गयी है। अतः वर्तमान अपील दायर की गई है।

अपील खारिज करते हुये न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

1.1. समान रूप से अवस्थित अपचारी को समानता से निपटाया जाना चाहिये। इसलिये अगर कर्मचारियों के उपर आरोप समरूप है, तो यह अपेक्षित है कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिये। हालांकि, आरोपी पर दण्ड की मात्रा निर्धारित करने हेतु नियोक्ता द्वारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसमें आरोपी कर्मचारी का आचरण और आरोपों की प्रकृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (पैरा नंबर-11 व 12)

1.2 भारत की वरिष्ठम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्तियों के तहत सामान्यतः दण्ड की मात्रा पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। (पैरा नंबर-13)

आनन्द रिजनल कापरेटिव आयल सीडग्रोवर्स यूनियन लि0 बनाम शैलेश कुमार हर्षदभाई शाह (2006) 6 एससीसी 448 व डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस व अन्य बनाम जी. दासायन (1998) 2 एससीसी 407 से अंतर किया।

2. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी अभिलेख से छेडछाड और कूटरचना का दोषी पाया गया है। उसने खाद्य भत्ते का दुर्विनियोग किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध संयोजित किया गया आरोप नंबर-1 गंभीर प्रकृति का है एवं वह उसका दोषी पाया गया। मात्र लेखक सिपाही होने के कारण वह कम्पनी कमांडर के पहुंचने के समय बाबत् रोजनामचा आम में इन्द्राज नहीं कर पाया। जहां तक आरोप नंबर-2 का प्रष्न है, उसने उसे स्वीकार किया है। आरोप नंबर-3 उसके विरूद्ध साबित हुआ है। अपीलीय अधिकारी व उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने राय प्रकट की है कि याची के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। केएस मात्र अवैध रूप से खाद्य भत्ता क्लेम करने का दोषी पाया गया। इस तथ्य के अतिरिक्त अपीलार्थी के विरूद्ध संयोजित आरोप नंबर-1 बहुत ही गंभीर प्रकृति का है, जिसके लिये केएस को आरेपित न हीं किया गया है, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी व केएस समान स्थिति में हैं। किन्तु, यह भी कि केएस के विरूद्ध आरोप संख्या-2 साबित नहीं हुआ है। जबकि अपीलार्थी ने उसके संबंध में अपना अपराध स्वीकार किया है। अपीलार्थी एवं केएस के विरूद्ध आरोपित अपराध समान प्रकृति के नहीं है। अतः आक्षेपित निर्णय किसी भी प्रकार से विधिक त्रुटि से गृसित नहीं है। (पैरा नंबर 11, 12, 13 व 15)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार-सिविल अपील संख्या 5943/2007

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के लेटर पेटेंट अपील संख्या 113/2005 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 06.12.2005 से।

मोहन पाण्डे - अपीलार्थी के लिये।

नितीश मैसी व अजीत कुमार सिन्हा-प्रत्यर्थी के लिये

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया-

एस.बी.सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. अपीलार्थी बिहार सेना पुलिस बकारो स्टील सिटी में लेखक सिपाही के पद पर कार्यरत था। उसके विरूद्ध निम्न आरोपों के लिये विभागीय कार्यवाही अमल में लायी गयी-

(1) उसने मार्च 1985 में, सी-कम्पनी में पदस्थापित रहते हुये आर.बी. साहू कम्पनी कमांडर के दिनांक 28.03.85 को पहुंचने बाबत् रोजनामचा आम में इन्द्राज किया। डायरी प्रारम्भ करने से पूर्व ओहदेदार व अधिकारियों के इन्द्राज वाले खाने में उसने एस.आई.(एस) की उपस्थिति दर्षायी। जबकि प्रविष्ठी संख्या 700 में उसकी आमद 8.45 बजे की दिखायी गयी। प्रविष्ठी संख्या 700 दो बार की गयी। प्रथम बार समय 8.45 व

द्वितीय बार 9.30 बजे दर्ज किया गया। समय 8.45 पर दर्ज की गयी प्रविष्ठी संख्या 700 निष्चित रूप से बाद में डाली गयी है।

(2) उसके बयान के अनुसार वह धनबाद में सी-कम्पनी में पदस्थापित था, दिनांक 14.12.84 से 16.12.84 व 09.01.85 से 12.01.85 व कम्पनी मुख्यालय से श्री साहू कम्पनी कमांडर के आदेश से बाहर था, इसके बावजूद उसने अपनी उपस्थिति कम्पनी मुख्यालय में दर्षायी और खाद्य भत्ता क्लेम किया और प्राप्त किया।

(3) सी-कम्पनी औरंगाबाद द्वारा ने उसे कमाण्ड संख्या 227376 द्वारा कांस्टेबल 576 कौशल कुमार और वाहिनी मुखिया के साथ निर्देषित किया गया था। वह कांस्टेबल संख्या 576 कौषल कुमार के साथ 24.03.84 को लौटे थे, उनकी आमद 26.03.85 को सुबह 9.00 बजे दिखायी गयी है। उक्त अवधि के लिये भोजन भत्ते के वाउचर पर भुगतान किया गया और प्राप्त किया गया, जो एक कूटरचना है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में उसे सभी आरोपों में दोषसिद्ध किया गया। उसने आरोप संख्या-2 को स्वीकार किया व अन्य आरोपों का भी दोषी पाया गया। नियुक्ति अधिकारी ने जांच अधिकारी की अनुसंषा पर विष्वास करते हुये अंतिम आदेष दिनांक 31.08.87 को पारित किया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया।

4. इसके विरूद्ध की गयी अपील को बिहार पुलिस निदेशक द्वारा खारिज कर दिया गया। अपील में अपीलार्थी द्वारा एक तर्क यह भी लिया गया कि विभागीय कार्यवाही में एक अन्य कौशल कुमार को भी समान आरोपों के लिये दोषसिद्ध पाये जाने के बावजूद उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया गया, जिसके संबंध में अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.08.89 में यह राय प्रकट की, '

> 'कि आरोपित सिपाही द्वारा सिपाही 576 कौशल कुमार के विरूद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही संख्या बीएमपी-4 का 22/87 दृष्टांत लिया जाना गलत है। सिपाही कौशल कुमार ने तत्कालीन कम्पनी कमांडिग पुलिस आफिसर रामभक्त साहू के अवैध कृत्य के विरूद्ध आवाज उठायी थी और उसे दोषी ठहराया गया है। अतः आरोपित सिपाही व कौशल कुमार सिंह सिपाही संख्या 576 का प्रकरण समान नहीं है।''

5. अपीलार्थी ने उक्त आदेश की वैधानिकता को आक्षेपित करते हुये पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 9945/1996 दायर की।

विद्वान एकल न्यायाधीष के न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुये यह व्यक्त किया कि,

"यह स्थापित तथ्य है कि बब्बनराम उप-कमांडेंट द्वारा प्रतिनियुक्त था, जबकि याची एक लेखक सिपाही होने के नाते खाद्य भत्तों के रजिस्टर में इन्द्राज करने के लिये दायित्वधीन था। इसलिये याची के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिये उसे कदाचार की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुये दोषसिद्ध किया गया है। याची को अपनी प्रतिरक्षा का पूर्ण अवसर दिया गया और विभागीय जांच कार्यवाही पारदर्शी और सही रूप में की गयी।

मैंने जांच अधिकारी की अनुसंशा, अनुशासन अधिकारी के आदेश, जो कि अनुलग्नक-4 के रूप में रिट याचिका के संलग्न है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेष, जो अनुलग्नक-8 व 8/1 के रूप में रिट याचिका के संलग्न है, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मैंने यह पाया कि विद्वान अनुशासन अधिकारी और अपीलीय अधिकारी ने ध्यानपूर्वक सामग्री का परिशीलन करके साक्ष्य की विवेचना करते हुये इस निष्चित मत पर पहुचे हैं कि याची के विरूद्ध आरोप पूरी तरह से स्थापित हुये हैं और वह दोषी था"

यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुये अपीलीय अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता और जांच अधिकारी, अनुशाशन अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के निष्कर्ष को अपने निष्कर्ष से पुर्नस्थापित नहीं कर सकता। याची यह

साबित करने में असफल रहा है कि प्रत्यर्थीगण का निष्कर्ष विधि विरूद्ध हो या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित ना हो। इसलिये मैं, ऐसी कोई सामग्री नहीं पाता हू जिससे प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित निष्कर्ष को अपास्त किया जावें।

जहां तक दण्ड की मात्रा का प्रश्न है, मैं यह पाता हू कि आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, जो साबित हुयी है, को देखते हुये याची को सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड जो सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित किया गया है, किसी हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं।

6. खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत अंतर न्यायालय अपील को विवेचनाधीन आदेश के तर्को के आधार पर खारिज किया गया।

7. इस न्यायालय द्वारा सीमित नोटिस इस आशय आषय का जारी किया कि, ''अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समान कदाचार के लिये अन्य सिपाही को कम मात्रा का दण्ड दिया गया है, जबकि याची पर सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया हैं।'' विलम्ब को क्षमा करने के प्रार्थनापत्र एवं विशष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी हो।

8. अपीलार्थी की ओर से श्री मोहन पाण्डे, विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क प्रस्तुत किया हैं कि कौशल कुमार सिंह के विरूद्ध अधिरोपित आरोप मुख्यतः समान प्रकृति के थे, सिवाय आरोप संख्या-1 के। विद्वान

अभिभाषक के अनुसार कथित दुराचरण के द्वारा कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, इस कारण से अनुशसन अधिकारी को नरमी का रूख अपनाना चाहिये था।

हमारा ध्यान श्री कौशल कुमार सिंह के विरूद्ध पारित दण्डादेष की तरफ आकर्षित किया गया। जो निम्न प्रकार है-

"कारण दर्षित करने हेतु जारी नोटिस के तथ्यों का अवलोकन करने एवं कमांडिंग आफिसर की राय को मद्देनजर रखते हुये मैं, कमांडिग आफिसर की राय को स्वीकार करता हू और उसे निम्न प्रकार दोषी पाता हू-आरोप संख्या-1 के संदर्भ में पूरी तरह, आरोप संख्या-2 के संदर्भ में आंषिक तौर पर उसकी दिनांक 14.12.84 से 16.12.84 एवं 09.01.85 से 12.01.85 एवं 26.03.85 कुल 08 दिन की अवैध अनुपस्थिति अति-आवष्यक अवकाश के रूप में मानी जायेगी। इस अवधि के लिये भत्तों की राषि, जो उसे अदा की गयी है, वह वसूली जायेगी और कोष में जमा की जायेगी। चूंकि, उसने अविलम्ब कम्पनी कमांडर के विरूद्ध शकायत दर्ज करायी है, इसलिये वह सहानुभूति का हकदार है। इसलिये उसके एक वर्ष की वेतनवृद्धि को रोका जायेगा। यह दण्ड उसके भविष्य के वेतनवृद्धि को प्रभावित नहीं करेगा। इसके साथ-साथ भविष्य में पुनरावृत्ति पर बर्खास्तगी की चेतावनी दी गयी।"

9. विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कौशल कुमार सिंह को बहुत निम्न/हल्का दण्डादेश दिया गया है, इसलिये उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार ना करके त्रुटि कारित की है। इस संदर्भ में आनन्द रिजनल कापरेटिव आयल सीडग्रोवर्स यूनियन लि0 बनाम शैलेश कुमार हर्षदभाई शाह (2006) 6 एससीसी 448 व डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस व अन्य बनाम जी. दासायन (1998) 2 एससीसी 407 पर भरोसा किया गया।

10. दूसरी तरफ प्रत्यर्थी की ओर से श्री नितिष मैसी, विद्वान अभिभाषक ने यह प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का मामला श्री कौशल कुमार सिंह के समान नहीं हैं, क्योंकि उसके विरूद्ध आरोप संख्या-1 विरचित नहीं किया गया था, आरोप संख्या-2 ही स्थापित हुआ था। अपीलीय अधिकारी ने कम दण्ड ना दिये जाने के सुदृढ़ और पर्याप्त आधार अभिलिखित किये हैं, इसलिये इस न्यायालय को उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

11. अपीलार्थी के विरूद्ध विरचित आरोप संख्या-1 गंभीर प्रकृति का है। वह उसका दोषी पाया गया है। उसने कार्यालय अभिलेख से छेडछाड़ की है, मात्र लेखक सिपाही होने के कारण वह कम्पनी कमांडर के पहुंचने के संबंध में रोजनामचा में इन्द्राज नहीं कर सकता था।

जहां तक आरोप संख्या-2 का प्रश्न है, वह उसने स्वीकार किया है। आरोप संख्या-3 उसके विरूद्ध साबित हुआ है। अपीलीय अधिकारी एवं एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उसके विरूद्ध विरचित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जैसाकि उपर विवेचित किया है।

यह सही है कि समान अवस्था में स्थित अपचारी अधिकारियों से समान व्यवहार किया जाना चाहिये, अतः यदि कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप समान प्रकृति के हैं, तो यह अपेक्षित है कि उनसे समान बर्ताव किया जाये।

12. आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध नियुक्ति अधिकारी द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड की मात्रा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। आरोपी का आचरण और आरोप की प्रकृति इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। आरोप संख्या-1 अत्यधिक गंभीर प्रकृति का है, जिससे श्री कौशल कुमार सिंह आरोपित नहीं किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी और कौशल कुमार सिंह समान स्थिति में अवस्थित थे। यद्धपि यह भी कि पूर्व वर्णितानुसार जहां तक कौषल कुमार सिंह का संबंध है, आरोप संख्या-2 भी आंशिक रूप से साबित हुआ है, जबकि अपीलार्थी ने आरोप संख्या-2 को स्वीकार किया है।

जांच अधिकारी ने अपनी प्रतिवेदना में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया हैं कि,

"साथ-साथ मैंने उपस्थिति पंजिका एवं खाद्य भत्ता पंजिका का भी अवलोकन किया। किसी भी अधिकारी ने ना तो उन पर हस्ताक्षर किये हैं, ना ही सत्यापित किया है। यह भी विकट स्थिति है कि उपस्थिति पंजिका एवं खाद्य भत्ता पंजिका को इस आधार पर सही माना गया। यह आवष्यक है कि जब कभी भी खाद्य भत्ते का क्लेम किया जाये, वह पंजिका से सत्यापित की जाये, जो कि नहीं है। कम्पनी कमांडर ने यह बयान दिया है कि दिनांक 14.12.84 से 16.12.84, 09.01.85 से 12.01.85 के संबंध में आरोपित सिपाही द्वारा वीरेन्द्र कुमार सिपाही की सहायता से प्रविष्ठियां की गयी है। आरेपित सिपाही इस अवधि में कहीं नहीं गया और उक्त दिवस को वह मौखिक आदेश से बाहर था। यह भी बड़ा मुश्किल है कि किसके कथनों को सही माना जाये, आया आरोपित या कम्पनी कमांडर। कम्पनी कमांडर के नियंत्रण में होती है, इसलिये उसके कथन को बल दिया जाना चाहिये। आरोपित ने निश्चित रूप से कम्पनी कमांडर से फर्जकारी की है, क्योंकि उसने उस पर विश्वास करते हुये हस्ताक्षर किये हैं।

13. अतः अपीलार्थी अभिलेख से छेडछाड एवं कूटरचना का दोषी पाया जाता है। उसने खाद्य भत्ते का दुर्विनियोग किया है। श्री कौशल कुमार सिंह मात्र अवैध रूप से खाद्य भत्ते की याचना का दोषी पाया गया है। यह कहना मुश्किल है कि वरिष्ठ न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता का प्रयोग करते हुये सामान्यतः दण्डादेश में हस्तक्षेप करेंगे। यहां तक कि

औधोगिक न्यायालय भी ऐसा नहीं करेंगे। जैसाकि इस न्यायालय ने शैलेश कुमार (उपसर्ग) में प्रतिपादित किया हैं। हालांकि, उक्त मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये यह प्रतिपादित किया गया था कि,

"प्रकरण के दूसरे पहलू को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि समान रूप के आरोप सात व्यक्तियों के विरूद्ध लगाये गये थे। प्रबंधन ने छः व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की, हालांकि वे समान स्थिति में अवस्थित थे, उन्हें स्वेच्छिक सेवानिवृति योजना का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गयी थी।"

उक्त निर्णय अपीलार्थी की कतई मदद नहीं करता।

14. जी.दयासन (उपर) एक ऐसा मामला था, जिसमें मुख्य आरक्षी जो कि एक साथ विचारित किये गये थे परन्तु, उन पर भिन्न प्रकार का दण्ड अधिरोपित किया गया था इसके बावजूद कि उनके विरूद्ध समान आरोप थे। इस न्यायालय ने दण्ड की मात्रा में हस्तक्षेप किया।

15. यह ऐसा मामला नहीं है। अपीलार्थी एवं कौशल कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप समान प्रकृति के नहीं है, आक्षेपित निर्णय किसी भी विसंगती से ग्रसित नहीं हैं।

16. तद्नुसार अपील खारिज की जाती है किन्तु, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हरि मोहन मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।